सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
फाल्गुन 02, शुक्रवार, शाके 1946 - फरवरी 21, 2025 Phalguna 02, Friday, Saka 1946- February 21, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 21, 2025

जी.एस.आर.32 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 19, 2024

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।

2. नियम 42 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 के उप-नियम (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूचित बैंक के" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूचित बैंक या बीमा प्रतिभूति बंधपत्र जारी करने के कारबार को करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के साथ रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये बीमा प्रतिभूति बंधपत्रों के" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 75 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में,-

(क) उप-नियम (3) में, विद्यमान खण्ड (ड.) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (च) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (ड.ड.) अंत:स्थापित किया जायेगा:-

"(ड.ड.) बीमा प्रतिभूति बंधपत्र जारी करने के कारबार को करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के साथ रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये बीमा प्रतिभूति बंधपत्र"; और

(ख) उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड.)", के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड.ड.)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.